श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : महात्मा गांधी ने ५५ करोड़ रुपया पाकिस्तान की बहबूदी व भलाई के लिए दिया था : हमारे प्रधान मंत्री महोदय ८३ करोड़ रुपया दे कर आये तो क्या उस से सबल होकर पाकिस्तान ने यह मार्ग अपनाया है कि वह आप के ऊपर आक्रमण करता रहे ? वह जो हमारी सीमाओं पर अन्दर आकर आक्रमण करता है तो क्या हमारी सीमाएं खाली पड़ी रहती हैं जो वह उन पर आक्रमण करता रहता है या आप के सैनिक निहत्थे खड़े रहते हैं हाथ बांधे जो वह इस तरह के एक के बाद एक आक्रमण करता है ? यह क्या बात है कि आप का एक भी आक्रमण नहीं होता है और उन के एक नहीं अनेकों आक्रमण होते रहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं ने प्रश्न किया है उसका उत्तर आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप की मंशा पूरी हो गई । आप जो कहना चाहते थे वह आपने कह लिया ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायं । सब लोग समझ गये हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो क्या आप की सेना हाथ बांधे खड़ी रहती है और वह यह सह क्यों लेती है ?

अध्यक्ष महोदय : सेना खड़ी रहती है तो भी स्वामी जी आप बैठ जायं ।

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में इस तरह की आये दिन घटनायें होती रहती हैं तो क्या उन घटनाओं पर विचार करने के लिए मंत्री महोदय या प्रधान मंत्री कोई इस सदन् में बहस चलायेंगे ताकि इस का कोई उपाय सोचा जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात कोई पूछने की नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं जानना चाहता हूं कि यह घटनायें प्रतिदिन बराबर बढ़ रही हैं, संसद् में कई बार इस की चर्चा आती है तो क्या भारत सरकार संयक्त राष्ट्र संघ से इस प्रकार का कोई निवेदन कर रही है कि वह अपने पर्यवेक्षकों की वहां युद्ध-विराम रेखा पर शक्ति अधिक बढ़ायें ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके ?

Shri Y. B. Chavan: I think we have certainly asked for more observers.

Shri Hem Barua: You said like that that day.

12.26 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker: I have got notice of a privilege motion.

> "On the 17th March, 1964, at about 7 p.m. a member of the Watch and Ward staff stopped Shri Bagri, Member, Lok Sabha, from entering into the main gate of Lok Sabha. The Parliamentary Congress Party was meeting inside the building, and newspaper correspondents were permitted to enter. This amounts to breach of privilege."

It was 7 p.m. and this is my order that Shri Bagri cannot come into Parliament House after 7 p.m. Therefore, no question of privilege arises.

Shri Bade (Khargone): I want to raise a point of order.

Mr. Speaker: On my ruling?

श्री बड़े : आप ने जो अभी व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इस पार्लियामेंट हाउस के अन्दर साढ़े सात बजे कांग्रेस पार्टी बैठ सकती है तो उसके बाद में यदि कोई दूसरा मेम्बर पार्लियामेंट हाउस में आना चाहे तो उसको अंदर आने से रोक देना कहां तक वाजिब था? आखिर को पार्लियामेंट तो सभी की है। इस बारे में एक क्वैश्चन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की किताब में लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ कर बतला सकता था लेकिन मैं उसे साथ अभी नहीं लाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह मोशन आज अभी हाउस में ले लिया जायगा। मैं तो समझता था कि चैम्बर में उस पर डिस्कशन होगा। जब आप ने श्री बागड़ी को पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बाहर लान में रहने की इजाजत दे रक्खी है कि वह वहां पर रह सकते हैं तो चूंकि बाहर पानी पीने की व्यवस्था है नहीं और यदि वह पानी पीने और पेशाब टट्टी के लिए अन्दर पार्लियामेंट हाउस में आना चाह रहे थे तो इससे भी उनको मना कर दिया गया। इस पर मैंने आपको टेलीफोन किया था . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायं, मैंने सुन लिया।

श्री बड़े : मेरा प्वाएंट औफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपका तो प्रीवलैज मोशन भी नहीं है।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट हाउस में आने जाने के बारे में हमारा सब मेम्बरों का एक सा प्रीवलैज नहीं है। जब दूसरे मेम्बर्स सात बजे के बाद पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के सिलसिले में मौजूद थे और अंदर आ रहे थे तो इस तरह से एक माननीय सदस्य को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आने से रोक देना कहां तक उचित होगा? अब अगर अध्यक्ष महोदय इस पर भी यही व्यवस्था देते है कि नहीं उनका रोका जाना ठीक था तो वह व्यवस्था मानी जायगी। because this precedent will be quoted in other State Vidhan Sabhas.

श्री त्यागी (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले में एक सफाई चाहता हूं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आप से मेरा निवेदन यह है कि आप ने माननीय सदस्य, श्री बागड़ी को बाहर रहने की इजाजत दी और बाहर पानी आदि की व्यवस्था नहीं थी। वह पानी के लिए अन्दर आ रहे थे। चूंकि उन के खिलाफ इस सदन की कोई कार्यवाही नहीं है और न ही उन पर किसी प्रकार का आरोप है, तो जब दूसरे संसद्-सदस्य यहां पर कार्यवाही चला रहे थे और दूसरे लोगों को आने की इजाजत थी, तो फिर उन पर पानी इत्यादि लेने के लिए यहां पर आने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया और यह सारी दिक्कत कैसे पैदा हुई। जब बाहर पानी की व्यवस्था नहीं है, केवल पाखाना जाने की व्यवस्था थी—और वह भी तब की गई, जब कि बाद में इस मामले में हम लोगों ने दखल दिया—तो, श्रीमन्, एक संसद्-सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है।

इसी सिलसिले में मैं यह भी निवेदन कर दूं—हालांकि यह इस से थोड़ा दूर का मामला है—कि जब मैं और माननीय सदस्य, श्री बड़े, कल यहां पर आए, तो हम लोगों को भी आने से रास्ते में ही रोका गया और वहां तक टैक्सी ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, जब कि स्थिति यह थी कि दरवाजा खुला हुआ था, हम लोगों को जाने दिया गया। इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है व अच्छी नहीं है।

श्री त्यागी : चूंकि बागड़ी साहब के खिलाफ वारंट था, इस लिए आप ने उन को इजाजत दे दी थी कि वह रात को लान में रह सकते है । इस के बारे में आप ने पार्लियामेंट के सामने कुछ नही फरमाया है कि किन किन जुर्मों के लोग इस तरह पार्लियामेंट में हिफाजत के लिए रात गुजार सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस बात की सफाई कर दी जाये । (*Interruptions*)

श्री रामसेवक यादव : जेब -कतरे उस में शामिल नहीं होंगे ।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Sir, I was not here when it has happened and you gave permission to Mr. Bagri to put up his tent in the precincts of the Parliament House. If the Members of the Congress Party can attend a meeting within the precincts of Parliament at a particular hour, is it right to discriminate against another Member? Whether he has been permitted to stay outside or not, he is a Member of Parliament and there should be no discrimination between Members of Parliament in coming inside the House and your orders should be the same for both the Members of the Ruling Party as well as for the others.

Shri Tyagi: Congress Members were already inside; they did not go outside.

Shrimati Renu Chakravartty: You could have been late to the meeting.

Mr. Speaker: I will answer for myself. These are questions put to me and I am being accused.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I wish, by your leave, to seek some light and clarification of your observations. By your order, Sir, you had banned—not in so many words but in effect—my hon. friend Shri Mani Ram Bagri from entering Parliament buildings—not the precincts—after 7 o'clock. There is no question that you exercise full control and jurisdiction over Parliament and its precincts. But the point that concerns me and several of my hon. colleagues here is this. Having allowed him to seek sanctuary, so to say, within Parliament's precincts, within the four gates—I am not sure how many gates there are—of Parliament House, once having allowed him to stay there, for the evening and the whole night, till the next morning, would it be proper from the human angle to debar him from coming into the building for a glass of water or something like that. If you have barred one Member, it may be quoted as precedent in future; you will not perhaps do that but your successor may quote it as a precedent.....

Mr. Speaker: I would not be there.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not talking about that, Sir, Parliament is eternal; but by the will of God you and I may not be here always, but Parliament will be here, always. I would, therefore, seek clarification as to how this will affect the rights and privileges of Members of Parliament.. (*Interruptions*). I want to put a specific question: why Shri Bagri was debarred from coming into Parliament building after 7 O'clock? Why one Member was discriminated against when all the Members of the Congress Party had free access to the House, to the building, so to say?

Shri Ranga (Chittoor): I feel that I would be guilty if I did not intervene

[Shri Ranga]

at this stage and put in a few words in defence of the Speaker and what the Speaker is supposed to have done. Sir, if you and the House bear with me, all this has arisen as a matter of concession. We had a conference with the Speaker the other day and we came to know that our colleague, Shri Bagri, intended to remain in the House after the House rose for the day. Then we were asked to give some advice to the Speaker, by way of helping him to come to his own decision. Then we all came to the conclusion, and we advised him and he was good enough to decide that so far as Members are concerned, within the precincts of this House, that is, including the outside space also inside the gates, it would be his privilege to give shelter or sanctuary to such other Members as seek it from time to time for whatever legitimate purposes, and not illegitimate purposes, because we also mentioned it very clearly that if anyone is wanted by the police for murder or rape or dacoity, then it would not be proper for us to advice the Speaker that he should extend this privilege to the Members.

Now, it would be the Speaker's privilege to give this sanctuary to our Members. Then it arose that Shri Bagri, for the time being, alone needed it; so we thought that the Speaker was going to give shelter to him and he gave it. What followed thereafter, in the light of what Shri Kamath has said, is in regard to some difficulty about water, etc. Unfortunately, we did not discuss it and the Speaker possibly had not thought of it, and therefore, some misunderstandings seem to have arisen. True, that an important difficulty from his point of view has arisen, in regard to the supply of water, and some misunderstandings seem to have arisen.

But I do not think this is a matter for raising the question of privilege here. After all, it is a matter where the Speaker has been good enough on our behalf to give this special privilege to Shri Bagri, and if that difficulty had arisen, I would have thought it would have been best for him and anyone of us to meet the Speaker in his Chamber and make him aware of this particular difficulty and ask him to amend his orders suitably, so that such human difficulties could be avoided.

I do not think any discrimination was intended between one Member and another. If the Congress party was allowed to carry on its meeting, well, if the practice that obtained when I was secretary of the Congress party continues to be the same today—and I think it continues—we always sought the permission of the Speaker to hold the meeting of the Congress party—(*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. I will answer that. It was with my permission; it is in writing.

Shri Ranga: Therefore, no one, whether he belongs to a party or is an individual, is allowed to be in the House after the House rises without the specific permission of the Speaker. Therefore, I do not think there is any discrimination made or intended between one Member and another, as has been suggested by some of our Members.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस से पहले कि आप कुछ कहें, एक दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लें । अभी रंगा साहब और त्यागी जी को सुनने के बाद कुछ ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप उस को सुन लें ।

त्यागी जी ने कहा कि वे लोग अन्दर मौजूद थे । लेकिन मैं ने अपने इस विशेषाधिकार-अवहेलना के प्रश्न में यह भी लिखा है कि लोग बाहर से भी अन्दर आये । रंगा

साहब ने कहा कि आप ने कन्सेशन दिया । श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं लोक सभा के अन्दर पुलिस बिना आप की अनुमति के अन्दर नहीं आ सकती है, यह नियम है । अब वह सिर्फ यह इमारत है—इस चारदीवारी के अन्दर ही है या बाहर भी शामिल है, यह तो फैसला करने की बात थी । आप के संरक्षण देने का जहां तक सवाल है, उस में अन्दर या बाहर रहने की इजाजत दी गई थी । दोनों का मतलब एक हो जाता है । उस में भीतर और बाहर का फर्क करना कोई ज्यादा ठीक बात नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भी देश हैं, जहां सदस्यों की गिरफ्तारी के ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है—सदस्य गिरफ्तार नहीं किये जा सकते हैं । यहां तो केवल संरक्षण देने का सवाल है । जब आप किसी सदस्य को संरक्षण देते है और यदि वह बाहर रहता है, तो उस के लिए पानी और पाखाने इत्यादि की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । जब लोक-सभा खुली थी, लोग आ जा रहे थे तो ऐसी सूरत में पानी का रोका जाना निश्चित रूप से सदन के विशेषाधिकारों और अवहेलना का प्रश्न है । इस में कंसेशन का सवाल नहीं है और यह प्रश्न नहीं है कि किसी ने कंसेशन दे दिया है । यह सदन की मर्यादा और संसद् सदस्यों के अधिकार का प्रश्न है । उस में आप भी आते हैं, बाकी सब भी आते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर इस तरह से विचार नहीं होना चाहिये ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Sir, I have one or two submissions to make. After having heard hon. Members on this question, it appears to me that the problem before the House is not so simple as is, perhaps, thought out to be, by certain hon. Members. You have remarked that you had given a particular type of concession to Shri Bagri and that therefore the peculiar circumstances of this case—it is an individual case—are such that his being stopped from entering into the hall after 7 p.m. does not involve any breach of privilege. I am inclined to agree in so far as that aspect of the matter is concerned, that there was no breach of privilege if we keep in view clearly the peculiar circumstances of Mr. Bagri.

Tyagiji has tried to give a twist to the whole problem by saying as to what other crime than the one which is alleged against Mr. Bagri has to be condoned in the manner in which it is being done in the case of Mr. Bagri. I do not think this aspect of the question at all arises from the motion which is now before the House.

Mr. Kamath has referred to the privileges of ordinary Members and thereby he means the privileges of all Members. That, I think, is a cogent observation. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: That relates to a Member and therefore I am giving that indulgence, because we have to decide an important question in this.

Shri Kapur Singh: Prof. Ranga has tried to tell the House that the question of privilege does not arise, because the whole problem is exclusively confined to a certain concession, which was given to Mr. Bagri. But Shrimati Renu Chakravartty has struck a broader note, with which I am inclined to agree. She has tried to point out that the real question involved is not the stoppage of Mr. Bagri and his right to enter the hall, and the real question is not even of the Congress Party holding a meeting in the hall, for which you have informed the House you had given permission. But the disturbing implication of this privilege motion, that has been brought before the House, is that by stopping entry of Mr. Bagri into the hall in the manner that it has been done, an impression is sought to be created that the Congress, because it is numerous, because it is ruling, is presuming to prolificate itself into a totalitaria. Against that, we protest.

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): I feel we have lost

[Shri Frank Anthony]

sight of the fundamental issue in this matter. I think it is important. I am not questioning your first order. I think it is something which we have to address ourselves to. We may be sovereign in a certain constitutional sense, but the question is whether anyone purporting to act on our behalf can arrogate to himself the power to give sanctuary to any member, which in fact, is a negation of the processes of the law? That is the fundamental thing. I am not going into the question whether your first order was wrong or not. I am not talking of Mr. Bagri; I am not talking of gradation of offences. But I say with great respect that we cannot arrogate to ourselves powers which amount to giving sanctuary to a person who is alleged to have committed an offence and that we cannot negate the normal processes of the law. That is most important.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): I was about to raise the same point as Mr. Anthony. I do not question the discretion or the authority of the Speaker. But I feel it is a bad precedent and a committee should be set up to decide whether at all we can give any sort of security to an offender. It is all right that a Member cannot be arrested within the precincts of the House. But even after the Parliament hours, can we make a precedent of allowing people to live within the parliamentary precincts and violate the law? This is a thing which is far more serious than whether Mr. Bagri should be allowed to come in after 7 P.M. or not.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : कोई हद तो होनी चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : पहला प्रश्न यह है कि संसद् का क्या अर्थ है इस संदर्भ में : क्या संसद् का अर्थ यह है कि जब यह लोक सभा या राज्य सभा बैठती रहे या संसद् का अर्थ है वह इमारत जहां पर संसद् बैठती है । यह प्रश्न बहुत जरूरी है और मैं आप के सामने अर्ज करता हूं इस संदर्भ में कि संसद् का अर्थ है। वह इमारत जहां पर कि हम संसद् वाले अपना काम चलाते हैं ।

दूसरा प्रश्न है कि संसद् का कोई सदस्य संसद् की इमारत के भीतर क्या गिरफ्तार किया जा सकता है ? इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि न सिर्फ दुनिया में कई लोक सभाओं और संसदों में बल्कि इंगलिस्तान की संसद् में जो कि हमारे लिए बहुत से मानो में नमूना रहती है—मेरे लिये नहीं लेकिन इस संसद् के लिये—यह तय किया जा चुका है कि गिरफ्तारी के खिलाफ संसद् के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है । यह कोई विशेषाधिकार नहीं, यह तो सदस्यो का एक सामान्य अधिकार है ।

तीसरी बात यह उठती है कि जुर्म कौन से हों । अभी मैं एकाएक नहीं कह सकता हूं । हो सकता है कि बहुत सी संसदों में सब तरह के जुर्म आते हों । लेकिन यह बिल्कुल साफ बात है कि जुर्म के मामले में हमेशा यहां हम ने हिन्दुस्तान में एक तरफ तो राजकीय जुर्म और दूसरी तरफ ऐसे जुर्म जिस में कोई नैतिक अपराध आ जाता है, फर्क किया है, हमेशा किया है, कानून में किया है बर्ताव में किया है । नैतिक अपराध वाले जुर्म अगर हों तो वहां यह प्रश्न शायद न उठे लेकिन जहां पर राजकीय अपराध आते हैं वहां पर संसद् के सदस्यों का संसद् की इमारत के भीतर गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण एक जन्म-सिद्ध अधिकार है । यह कोई विशेषाधिकार नहीं है । इसलिये मैं आप से अर्ज करूंगा कि आगे के लिए संसद् के भीतर यह संरक्षण संसद् के सदस्यों को प्राप्त होना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : श्री बागड़ी पर जो दोष लगाया गया है तो वहां पर तो और भी कई ससद् सदस्य थे । केवल श्री बागड़ी पर जो यह दोष लगाया गया है, उस से तो मैं यह समझता हूं कि विशेष रूप से उन के ऊपर . . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब तहकीकात चल रही है तहकीकात होनी है, जब केस को अदालत में जाना है, तो उस पर आप अपनी राय नहीं दे सकते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं राय नहीं देता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस अपराध में बागड़ी जी यहां ठहरे हैं, वह कोई ऐसा नहीं है कि उनको संरक्षण न दिया जाए । जब दूसरे सदस्य यहां रह रहे हैं, तो एक दूसरे धड़े के सदस्य को न आने देना यह बहुत बड़ी असह्य बात है ।

दूसरी बात यह है कि सत्ता प्राप्त पार्टी के लोगों की तरफ से स्पष्ट रूप से एक प्रकार से यह अविश्वास है आप पर कि आप ने ऐसा क्यों किया ।

श्री पाराशर (शिवपुरी) मुझे भी एक मिनट . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अनएंडिंग क्या यह चीज चलती जा सकती है ?

श्री पाराशर : डा० लोहिया ने एक बात कही है विशेषाधिकार के बारे में, उस के सम्बन्ध में मुझे एक मिनट कहने की इजाजत दीजिये । मैं उन की बात का जवाब देना चाहता हूं ।

डा० लोहिया ने कहा है कि यह उन का सामान्य अधिकार है कि वह इस भवन के अन्दर प्रवेश करें । मैं समझता हू कि सामान्य अधिकार के भंग होने के बाद विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न हो नहीं सकता । उन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार नहीं है, तो उस के भंग होने का प्रश्न कहां पैदा होता है । यह इसको सामान्य अधिकार मानते हैं, विशेषाधिकार नहीं मानते हैं सदन के अन्दर आने को ।

अध्यक्ष महोदय : पहली चीज तो यह है कि क्या आया कोई मेम्बर जब पार्लियामेंट न बैठ रही हो या जितनाभी वक्त बैठने का हो, पांच, साढ़े पांच, छ., सात, जो भी वक्त हो, उस वक्त तक बैठे. उस के बाद आया किसी मेम्बर को अपने आप यह हक हासिल है कि वह पार्लियामेंट के अन्दर बैठा रहे, और वह कितनी देर तक बैठ सकता है और किस हालत में रह सकता है । पार्लियामेंट जब तक बैठी हो, काम कर रही हो, उस के बाद एक मुनासिब वक्त के लिये, पार्लियामेंट के काम के मुताल्लिक काम करने के लिये तो किसी मेम्बर को अन्दर बैठने की इजाजत है । मगर जो काम पार्लियामेंट से ताल्लुक न रखता हो और पार्लियामेंट बैठी भी न हो, उसके सम्बन्ध में अगर कोई मेम्बर पार्लियामेंट के बैठने के बाद रहना चाहे तो स्पीकर को यह अख्त्यार है कि वह उसको इजाजत दे या न दे । यह जगह एक लिविंग अकोमोडेशन के तौर पर घर नहीं बनाया जा सकता जिस में कि उस मकान के अन्दर कोई रह सके । और यही बात थी कि जब कि पहले बागड़ी जी ने मुझ से इच्छा जाहिर की कि वे यहां रहना चाहते हैं तो मैं ने कहा था कि इस सदन के अन्दर, इस इमारत के अन्दर, जैसा कि डाक्टर लोहिया कह रहे हैं, जब तक पार्लियामेंट बैठी हो, उस के इतने वक्त बाद तक मेम्बर रह सकते हैं, और इस मामले में मैं ने उसे सात बजे तक कर दिया था, इसीलिये कि अगर पार्लियामेंट के सम्बन्ध में उन्हें कोई काम करना हो तो बेशक करें । इस लिये मैंने अपोजीशन लीडर्स को भी बुलाया, उन के साथ मशवरा किया और उन की सहमति ली । उन्होंने मंजूर किया । अब उन का कुछ और ख्याल हो गया हो तो मुझे उसका पता नहीं । किसी ने दूसरा ख्याल उस वक्त जाहिर नहीं किया । मैं श्री रंगा का मशकूर हूं कि जो मेरी पोजीशन थी उस को उन्होंने

[अध्यक्ष महोदय]

साफ साफ बतला दिया । मैंने सात बजे तक की रियायत कर दी । वह कहते हैं कि कोई रियायत नहीं है । लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत रियायत की । वर्ना साढ़े पांच बजे के बाद जब तक पार्लियामेंट के सिलसिले में काम हो तभी तक रह सकते हैं । उस के बाद की मैं इजाजत नहीं दे सकता । मैं ने जान बझ कर उन को खास तौर से रियायत कर के इजाजत दी कि वे सात बजे तक रह सकते हैं, इधर उधर फिर सकते हैं । उस के बाद नहीं । इस लिये जहां तक माननीय सदस्य का ताल्लुक है, जो मेरी इजाजत है वह सात बजे तक ही है । उस के बाद के लिये न उन्होंने इजाजत मांगी थी, न उन के पास कोई इजाजत थी कि वह अन्दर आ सकें ।

अब सवाल यह है कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस पार्टी के लिये । तो कांग्रेस पार्टी ने इन राइटिंग मुझ से इजाजत ली है मीटिंग करने की, और वह मेरी इजाजत से अन्दर थे और अपनी मीटिंग कर रहे थे । उन को मीटिंग करने की इजाजत दी हुई थी । यह जो दो चीजें हैं उन को मिलाया नहीं जा सकता । एक को इजाजत सात बजे तक दी गई थी और उस के बाद की मांगी नहीं, न जबानी और न लिख कर, किसी भी तरह नहीं । इस वास्ते यह कहना कि किसी के साथ कोई पार्शेलिटी की गई या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यह बात दुरुस्त नहीं । एक तरफ तो मैम्बर साहब की मदद करने के लिये मैं कंसेशन दूं और उस को नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर के यहां प्रिविलेज मोशन आये, मुझ पर इल्जाम लगे कि मैं ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, या दूसरे के साथ रियायत की है यह गलत है । हालांकि मैं ने बहुत काफी रियायत बागड़ी साहब के साथ की है । यहां प्रिविलेज मोशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि किसी मैम्बर को कोई हक नहीं है कि जब तक वह स्पीकर की आज्ञा न ले ले वह यहां रहे । जब तक सिटिंग न हो रही हो तब तक किसी मैम्बर को कोई हक अपना नहीं होता । इस लिये प्रिविलेज मोशन तो यहां खत्म होता है ।

अब रहा सवाल बार्डर क्वेश्चयन का क्योंकि यह भी सवाल श्री एन्थनी ने उठाया है कि क्या मैं किसी को सैंक्चुअरी बना कर दे सकता हूं, आया उस को स्पीकर यहां रहने की इजाजत दे सकता है । इस हाउस का लिविंग अकोमोडेशन बनना तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इस को असर्ट करने के लिये कि जो यह चहार-दीवारी है उस के अन्दर इस पार्लियामेंट को हक है और पार्लियामेंट के जरिये स्पीकर को हक है, यह बात ठीक है । एन्थनी साहब ने जो सवाल किया कि अगर कोई मैम्बर जुर्म करे, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक मेरे पास कोई इत्तला नहीं कि बागड़ी साहब ने कोई जुर्म किया है । इस वास्ते मैं करार नहीं दे सकता कि वह मुजरिम है और मैं किसी मुजरिम को पनाह दे रहा हूं । मेरे पास अब तक कोई ऐसी इत्तिला नहीं है कि बागड़ी साहब के बखिलाफ कोई वारंट है या उन्होंने कोई जर्म किया है । बागड़ी साहब ने खुद इच्छा प्रकट की कि वह यहां रहना चाहते हैं और मैं ने उन्हें इजाजत दी । इसलिये यहां कोई सवाल इस बात का नहीं है कि मैं किसी मजरिम को अन्दर रख रहा हूं ।

यहां पर इस बात की भी सफाई हो जानी चाहिये कि मेरा काम और इस हाउस का काम जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ला है उस में मदद देना है, रुकावट डालना नहीं है, और यह हाउस हमेशा मदद देता रहेगा इस बात में । मगर जो हक मेम्बरों के हैं, जो उन के प्रिविलेजिज हैं, उन को सेफगार्ड करना भी मेरा काम है । अगर इस पर कोई एनक्रोचमेंट होगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस की रक्षा करना मेरा फर्ज है । मैं बागड़ी साहब से कहना चाहता हूं कि हालांकि मझे

अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, न मुझे इस बात का इल्म है कि उन के खिलाफ कोई वारंट है, लेकिन बहुत अर्से तक यह रियायत नहीं चल सकती, और वह वक्त शायद जल्दी आ जाये जब मुझे यह कहना पड़े कि यह रियायत बहुत ज्यादा आगे नहीं चलेगी ।

तीसरा सवाल है कि बागड़ी साहब ने जो किया है कि लान्स में चारपाई लगा कर, मेज कुर्सी लगा कर के उसे एक अलाहदा चीज बना दिया है जो कि पब्लिक गेज के सामने रहे, और वहां कुछ न कुछ आदमी इकट्ठे होते रहें, इस को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता । इसलिये मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वे इस तरह से न करें ।

रहा सवाल ह्यूमेन ग्राउन्ड्स पर पानी, टट्टी और पेशाब वगैरह का । मैं ने सारी तहकीकात की है । जब कभी उन्होंने पानी की इच्छा जाहिर की कि मझे पानी चाहिये, उन को पिलाया गया । मेरे पास रिपोर्ट है । पानी ला कर आदमी पेश करते रहे । कुछ आदमी अटेंडेंस में रहे कि जब जरूरत हो उसी वक्त ला कर दें । सामने जहां टट्टी पेशाब का इन्तजाम है, उस के लिये मैं ने कहा कि वह हर वक्त खुली रहे, किसी वक्त बन्द न हो । जिस वक्त बड़े साहब ने मुझे टेलीफोन किया उसी वक्त मैं ने टेलीफोन किया कि ऐसी तकलीफ न आये, और वह सहूलियत उन्हें दी जाती रही । इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता । मगर यह सहूलियत मैं बिला मियाद वक्त के लिये तो नहीं दे सकता, इस वास्ते अगर मैं जल्दी उन को किसी वक्त बन्द कर दूं तो बागड़ी साहब को हैरान नहीं होना चाहिये ।

श्री बागड़ी : मेरा एक जाती सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं और बहस में नहीं जाना चाहता ।

एक माननीय सदस्य : मैं आप की रूलिंग की बाबत कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर रूलिंग पर बहस होने लगी तो कैसे काम चलेगा । (*Interruptions*)

श्री त्यागी : मैं बहस नहीं करना चाहता, आप से एक सफाई चाहता हूं । (*Interruptions*) मझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि आप कभी गौर करें और इस रूलिंग को कुछ साफ कर दें क्योंकि बहुत से मेम्बर यह महसूस करते हैं कि अगर कोई मेम्बर जुर्म करने के बाद, और उन को पता हो कि उन के खिलाफ वारंट वगैरह है, उस की जानकारी के बाद यहां छिपेंगे तो पार्लियामेंट की पोजीशन जरा खराब हो जायेगी । पार्लियामेंट के मेम्बरों की इज्जत का भी जरा खयाल कर लीजिये । या तो पुलिस आप से दरख्वास्त करती कि उन को हमें डिलिवर कर दिया जाये और आप की इजाजत से यह काम हो जाता नहीं तो जुर्म करने के बाद और उन को इत्तिला होने के बाद कि उन के खिलाफ वारंट है, मेम्बरों के यहां जान बूझ कर छिपने का रिवाज मेम्बरों की शान के खिलाफ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि हम बाहर अपनी डिगनिटी नहीं रक्खेंगे और बाहर जो लोग हैं वह भी ऐसा शक हमारी बाबत करेंगे, अगर कोई जुर्म हो जाने के बाद, बेशक मेम्बर इस पर यकीन न करता हो मगर अथारिटीज समझते हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, वह यहां छिपने की कोशिश करें । इस को पनाहगाह की तरह पर हमें नहीं बनाना चाहिये क्योंकि इस में हमारी अपनी शान कम होती है ।

रहा सवाल जुर्म का । यह भी डा० राम मनोहर लोहिया ने उठाया था और कुछ मेम्बर साहबान ने भी कहा था कि कई पार्लियामेंट ऐसी हैं जहां बहुत बहुत गुनाहगारों को

[अध्यक्ष महोदय]

बड़े बड़े जुर्म करने वालों को भी पनाह दी जाती है। मैं किसी जुर्म में इम्तियाज नहीं कर सकता। जुर्म जो भी होगा उस की एक ही अहमियत होगी और किसी भी मुजरिम को हम पनाह देने के लिये तैयार नहीं हैं। मगर जैसा मैंने कहा, यह जरूर है कि जो इस हाउस के प्रिविलेज हैं जो इस के हक हैं इस चार दीवारी के अन्दर, उन को कायम रखना भी हमारा फर्ज है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, बागड़ी साहब के यहां रहने का जो प्रश्न है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन का कभी भी इरादा नहीं था कि जो भी उन के ऊपर दफा १८६ और १८८ जुर्म १४७ और १४९ की तहत लगाये गये हैं, जिस की आप को जानने में जानकारी नहीं थी, उन से बचें। एक बार उन्हों ने प्रधान मंत्री के घर के सामने धरना दिया है, वे गिरफ्तार भी किये गये थे, जेल में रह चुके हैं और कई बार जा चुके हैं। उन का यह मतलब कभी नहीं था कि वे यहां छिपें। यह जो जुर्म है वह राजनीतिक जुर्म है। उन का एकमात्र मतलब यह था कि इस देश की जनता और सभी लोग जान जाय कि इस देश की संसद् सार्वभौम संस्था है और इस के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आज की पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वह स्थिति आज साबित हो चुकी है। सब को पता लग गया है आप के अधिकारों का और इस संसद् के अधिकारों का। मैं आप के जरिये इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि बागड़ी साहब आज ही शाम को यहां से चले जायेंगे और वे इस जुल्म के खिलाफ चाराजोई करेंगे।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय मैं आप के सामने ....

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं।

13.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

RULES UNDER THE DEFENCE OF INDIA ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Rules under section 41 of the Defence of India Act, 1962:

(i) The Defence of India (Third Amendment) Rules, 1964 published in Notification No. GSR 242 dated the 14th February, 1964.

(ii) The Defence of India (Fifth Amendment) Rules, 1964 published in Notification No. GSR 428 dated the 9th March, 1964. [*Placed in Library. See* No. LT-2543/64].

13.01½ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-SEVENTH REPORT

Shri V. Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

13.01¾ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT

Shri Tyagi (Dehra Dun): Sir, I beg to present the Twenty-second Report of the Public Accounts Committee on